राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एंव पंचायतीराज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 12(1)ग्रावि/नरेगा/वेयरफुट/2015/59360 जयपुर, दिनांक 27 APR 2016

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय :– इंजीनियर्स (BFT's) के चयन, प्रशिक्षण के संबंध में।
प्रसंग :– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 28.01.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता में सुधार को दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम की धारा 1 के पैरा 16 में वेयरफुट टेक्नीशियन रखे जाने का प्रावधान किया गया है। तथा पत्रांक j-12032/1/1/2016-MGNREGA-iv दिनांक 16.03.2016 के द्वारा राज्य में अतिरिक्त BFT के प्रक्षिशण के निर्देश दिये है। राज्य में वेयरफुट टेक्नीशियन के चयन, प्रशिक्षण, नियोजन एवं भुगतान के संबंध में संलग्न निर्देशानुसार कार्यवाही की जानी है।

अतः कृपया प्राप्त निर्देशों के क्रम में आवश्यकतानुसार अभ्यार्थियों का चयन दिनांक 28.01.2015 के निर्देशों के क्रम में करते हुए सूची संलग्न प्रारूप में दिनांक 15.05.2016 तक विभाग को आवश्यक रूप से भिजवाने का श्रम करें।

भवदीय,

संलग्न :–उपरोक्तानुसार।

(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस, समस्त राजस्थान।
2. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, समस्त राजस्थान।
3. श्री रिंकु छीपा को ई–मेल वास्ते।
4. रक्षित पत्रावली।

27/4/16

परियोजना निदेशक
एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

(51)

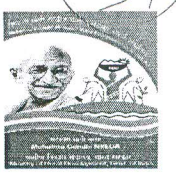

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमांक एफ 12(1) ग्रावि/नरेगा/वेयरफुट/2015 जयपुर, दिनांक 28 JAN 2015

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
अजमेर, बांसवाड़ा, बांरा, बाडमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़,
डूंगरपुर,जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, करौली, नागौर,
प्रतापगढ़, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर।

विषय – इंजीनियर्स (BFE's) के चयन, प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।
प्रसंग – इस विभाग का पत्र दिनांक 06.01.2015

प्रासंगिक पत्र के द्वारा भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत कराए जा रहे कार्यो के पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता में सुधार को दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम की धारा –1 के पैरा 16 में वेयरफुट इंजीनियर्स रखे जाने का प्रावधार किया है।

राज्य में वेयरफुट इंजीनियर के चयन, प्रशिक्षण, नियोजन एवं भुगतान के सम्बन्ध में संलग्न निर्देशानुसार कार्यवाही की जानी है।

कृपया प्राप्त निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थियों का चयन कर सूचना संलग्न प्रारुप में 15 फरवरी 2015 तक विभाग को आवश्यक रुप से भिजवाने का श्रम करावें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

भवदीय,
25/1/15
(रोहित कुमार)
आयुक्त,
महात्मा गांधी नरेगा

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी जिला परिषद, अजमेर, बांसवाड़ा, बांरा, बाडमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर,जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, करौली, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर ।
2. अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा बाड़मेर।
3. अधिशाषी अभिन्यता (ईजीएस) जिला परिषद अजमेर, बांसवाड़ा, बांरा, बाडमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर,जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, करौली, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर ।

परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (ईजीएस)

1. वेयर फुट इंजीनियर –

वेयरफुट इंजीनियर एक शिक्षित व्यक्ति है, जिसका चयन स्थानीय मनरेगा श्रमिको परिवार से किया जाकर विभिन्न प्रशिक्षण मोड्यूल के द्वारा प्रशिक्षण दिया जावेगा, जिससे वह कार्यो के चयन, लागत अनुसार तैयार करने, कार्य स्थल पर लेआउट लगाने, गुणवत्ता पूर्वक कार्य सम्पादन कराने, माप पुस्तिका में किए कार्य की रिकॉर्ड एन्ट्री करने इत्यादि सिविल इंजीनियर सिद्वान्तों के बारे में दक्ष हो सके।

2. चयन हेतु अधिकतम निर्धारण की सीमा –

प्रारम्भ में आईपीपीई चयनित ब्लॉक में प्रति 2500 एक्टिव जॉब कार्डधारी परिवारों पर BFE रखा जा सकता है।

3. योग्यताः–

BFE चयन में लिए पात्रता के मापदंड निम्नानुसार होगें।

(A) सक्रिय श्रमिक जिसने गत दो वर्षो में मनरेगा में कार्य किया हो

(B) कम से कम सैकण्डरी उतीर्ण हो

(C) ग्रा0प0 जिस के लिए चयन किया जाना है, का निवासी हों

(D) अनु0जाति/अनु0 जन जाति के आवेदको को प्राथमिकता इस प्रकार दी जावेगी कि एक ब्लॉक में चयन किये गये अनु0जाति/अनु0 जन जाति के आवेदको का प्रतिशत, उस ब्लॉक में अनु0जाति/अनु0 जन जाति की जनसंख्या के दुगुने से कम ना हो।

(E) कम से कम 50 प्रतिशत महिला हो।

4. उत्तरदायित्व :–

कार्यक्रम अधिकारी BFE का कार्य क्षेत्र निर्धारण व चयन करने के लिए अधिकृत है।

5. चयन प्रकिया :–

उपरोक्त क्षेत्र निर्धारित व आधार पर निम्नानुसार चयन किया जावेगा।

(A) पंचायत समिति क्षेत्र के समस्त जॉब कार्डधारी परिवारों का गत दो वर्षो में किए गए कार्य दिनो की संख्या के धटते हुए क्रम में सूचीबद्व किया जावें।

(B) उक्त क्रम में जिस परिवार में इच्छुक एवं योग्यताधारी व्यक्ति जिसमें अधिकतम दिवस कार्य किया है का चयन किया जावे, जब तक आवश्यक सख्या में आवेदक उपलब्ध ना हो जावे।

6. प्रशिक्षण :–

इस प्रकार चयन किए गए व्यक्तियों को चयनित संस्थानों में 3 माह का प्रशिक्षण दिया जावेगा तथा सफलतापूर्णक प्रशिक्षण वाले व्यक्तियों को (BFE) के रूप में कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निर्धारित क्षेत्र में नियोजित किया जावेगा।

7. BFE द्वारा किये जाने वाला कार्यः–

a. प्रस्तावित कार्य की पहचान करना,
b. उपयोगिता सुनिशचित करना,
c. तकनीकी सर्वे करना,
d. तकमीना तैयार करना व प्लान बनाने मे सहयोग करना,
e. कार्यस्थल पर लेआउट लागना
f. कार्यो का पर्यवेक्षण करना,
g. एमबी में माप दर्ज करना।

एमबी में किए इन्द्राज की जॉच नियमित अभियन्ता द्वारा की जावेगी। BFE के द्वारा समस्त कार्य नियमित अभियन्ता/तकनीकी सहायक के पर्यवेक्षक व निगरानी मे ही किया जावेगा तथा में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में चल रहे कार्यो पर मेट/कारीगर को सलाह दे सकेगें।

8. भुगतान :–

BFE को भुगतान कुशल श्रमिक को किये जा रहे भुगतान की प्रकियानुसार किया जावे। जिसके लिए प्रत्येक कार्य के तकमीने 1 प्रतिशत प्रावधान अलग से सामग्री मद में रखा जावेगा।

जिले का नाम :–

क्र. स	पंचायत समिति का नाम	बीएफई हेतु चयन किये गये आवेदक का नाम	आवेदक के पिता / पति का नाम	जाति (अुन0जाति / अनुजन जाति / ओबीसी / सामान्य)	पुरूष / महिला	ग्राम पंचायत	शैक्षणिक योग्यता	जॉब कार्ड न0	मोबाईल नं0	वि0वि0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी , ईजीएस
जिला परिषद